मध्य प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग,
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 10-06/2019/तैंतीस भोपाल, दिनांक 30 /07/2019

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

विषय :- जिला पर्यटन संवर्धन परिषद एवं जिला पुरातत्व संघ के संविलियन पश्चात "जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद" (DATC) के रूप में पुनर्गठन।

--0--

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-05/2016/तैंतीस, दिनांक 30/06/2016 द्वारा प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषदों का गठन किया गया है, जो प्रदेश के समस्त 51 जिलों (नवगठित निवाड़ी जिले को छोड़कर) में कार्यरत हैं।

2/ पुरातत्व विभाग के ज्ञापन क्रमांक 469/10/पुरा/73, दिनांक 11.04.1974 के द्वारा जिला पुरातत्व संघ की स्थापना निम्न 13 जिलों में की गई है :-

1.	दमोह	6	विदिशा	11	रतलाम
2.	सिवनी	7	भिण्ड	12	खरगोन
3.	सागर	8	सीधी	13	शाजापुर
4.	बैतूल	9	दतिया		
5.	मुरैना	10	खण्डवा		

3/ प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुरातत्व महत्व की संपदायें विद्यमान हैं जिनमें से कुछ राज्य पुरातत्व विभाग के अधीन हैं। पर्यटन की दृष्टि से ये स्मारक आकर्षण का केन्द्र रहतें हैं।

निरन्तर .....

4/ प्रदेश के जिलों में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विरासत विद्यमान हैं और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय - समय पर पारम्परिक आयोजन, मेला, उत्सव इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा पर्यटन, संस्कृति आदि विभागों के समन्वय से उक्त सभी आयोजन सफलतापूर्वक संपादित किए जाते हैं, यद्यपि इन विभागों का स्थायी अमला जिलों में उपलब्ध न होने से यह आयोजन जिला कलेक्टर द्वारा ही संपादित किए जाते हैं।

5/ तथापि पुरातत्व विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा गठित संघ / परिषद के उद्देश्य व दायित्व लगभग समान प्रवृत्ति के हैं परंतु विभाग पृथक - पृथक होने से विभागों के बीच समन्वय हेतु होने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत, कार्य सुविधा की दृष्टि से दोनों संस्थाओं का संविलियन करने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया है।

6/ अत: पूर्व में कार्यरत जिला पर्यटन संवर्धन परिषद एवं जिला पुरातत्व संघ के समस्त पहलुओं को शामिल करते हुए उनके स्थान पर राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर नवीन संगठन का पुनर्गठन "जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद" (DATC) के रूप में किया जाता है।

7/ "जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद" (DATC) को मूर्त रूप देने के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं :-

1. जिला पुरातत्व संघ के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं एवं जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष भी कलेक्टर होते हैं अत: नवीन संस्था "जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद" (DATC) की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष भी कलेक्टर होंगे। संविलियन पश्चात जिला पुरातत्व संघ के सदस्यों को जिला पर्यटन परिषद में नामांकित कर शामिल किया जाएगा।

2. प्रदेश के 13 जिलों में जिला पुरातत्व संघ के अधीन संचालित पुरातत्व संग्रहालयों का पर्यवेक्षण नवीन "जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद" द्वारा किया जाएगा।

3. जिला पुरातत्व संघ के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय व्यय, विद्युत देयक, अंकेक्षण एवं अन्य पुरातत्वीय गतिविधियों के कार्यों के लिए सहायता अनुदान पूर्ववत पुरातत्व संचालनालय, संस्कृति विभाग से प्राप्त होता रहेगा।
4. जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के उद्देश्य एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता अनुदान "जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद" (DATC) को पूर्व की भांति पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवंटित बजट अनुसार देय होगा।
5. "जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद" (DATC) से संबंधित समस्त कार्य संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा DATC हेतु नामांकित, नोडल अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाएगा।
6. अन्य नियम / शर्तें मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-05/2016/तैंतीस, दिनांक 30/09/2016 द्वारा (जिला पर्यटन संवर्धन परिषद हेतु) निर्धारित अनुसार ही होंगे।
7. पर्यटन विभाग उक्त संस्था का नोडल विभाग होगा।
8. प्रदेश के समस्त जिलों में "जिला पर्यटन संवर्धन परिषद" के नाम में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज कार्यालय से मिलकर उपरोक्तानुसार संशोधन "जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद" (DATC) दर्ज कराया जाए।
9. इसी प्रकार सभी जिलों में गठित जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (DTPC) के बैंक खातों में सुधार कर बैंक खाता "जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद" (DATC) अंकित कराया जाए।

(फैज अहमद किदवई)
सचिव
म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग

(पंकज राग)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग

पृ. क्रमांक एफ 10-06/2019/तैंतीस भोपाल, दिनांक 30 /07/2019

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
3. माननीय मंत्री जी, पर्यटन / पुरातत्व / संस्कृति विभाग के निज सचिव / निज सहायक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. जिलों के प्रभारी माननीय मंत्री जी के निज सचिव / निज सहायक, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, म.प्र. भोपाल।
7. आयुक्त, पर्यटन कार्यालय, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल।

Bhatt 30-7-19

अवर सचिव

म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग

M0-667 3/8/19